an>

Title: Regarding modification in the guidelines of MNREGA.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी यहां हैं, जो अपने पिछले कार्यकाल में ग्रामीण विकास मंत्री थे।

महोदय, मैं अभी कुछ दिन पहले अपने जिला-परिÂाद् की बैठक में था। वहां के जनप्रतिनिधि जो वहां बैठे थे, मनरेगा की गाइडलाइंस के बारे में तीन समस्याएं थीं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि आप उन तीनों प्वायंट्स पर ध्यान दें। पहला प्वायंट यह था कि सरपंच साहब, जो मनरेगा के तहत पक्के कार्य करवाते हैं, उसके लिए उन्हें टेन्डर इंवाइट करने होते हैं, जबकि वहां बी.एस.आर. रेट्स ऑलरेडी फिक्स्ड हैं। That is being decided by the district committee. टेन्डर्स के द्वारा अधिकतर उनके जो विपक्षी लोग हैं, वे उन्हें नीचा दिखाने के लिए बी.एस.आर. रेट से 30-40औ नीचे टेन्डर करते हैं। मैं यह अपने जिले की ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की बात बता रहा हूं। कृपया मनरेगा के गाइडलाइंस में यह तय किया जाए कि यदि 10औ से नीचे के टेन्डर्स आते हैं, they will not be accepted. इससे गुणवत्ता बनी रहेगी।

My second point is very important. Kindly give me one minute more. मेरा दूसरा प्वायंट यह है कि पक्के कार्यों के अंदर 49औ मैटेरियल कॉम्पोनेंट किया जाए। अभी जो 40औ मैटेरियल कॉम्पोनेंट और 60औ लेबर कॉम्पोनेंट हैं, उससे पक्के और डयूरेबल कार्य नहीं हो रहे हैं।

My third point is also very important. भूमिहीन किसान, लघु, सीमांत और इसी प्रकार एस.सी. और एस.टी. किसान जैसे चार प्रकार के लोगों के लिए कार्य किए जाते हैं। इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 60औ एग्रीकल्चर की राशि मनरेगा पर खर्च करने के आदेश दिए हैं। अब 60औ राशि खर्च नहीं हो पाएगी। इसका कारण यह है कि Scheduled Castes and Scheduled Tribes are already covered. अब सीमांत किसानों को इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह था कि उसे समान करके सीमांत काश्तकारों को भी इसके साथ लिया जाए। यह नहीं होना चाहिए कि एस.सी., एस.टी. के बाद सीमांत काश्तकारों को लें। आप चारों को एक साथ लें।